

संशोधित विज्ञापित आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2736 दिनांक 30.01.2026 द्वारा आंगनबाड़ी मानदेयकर्मियों के रिक्त पदों हेतु पदवार आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम देकर संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गई थी।

उक्त के क्रम में परियोजना गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ) के आंगनबाड़ी केन्द्र कालाडेरा डी व कालाडेरा ई पर क्रमशः सहायिका व कार्यकर्ता के रिक्त पद पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ) के पत्रांक 599 दिनांक 05.01.2026 के आधार पर विज्ञापित जारी की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ) के पत्रांक 62 दिनांक 18.05.2026 के अनुसार उक्त दोनो केन्द्र वर्तमान में नवनिर्मित नगरपालिका क्षेत्र कालाडेरा के अधीन आने से चयन की कार्यवाही उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष दिनांक 23.04.2026 को रखवाए गए। आंगनबाड़ी केन्द्र कालाडेरा डी व कालाडेरा ई पर क्रमशः सहायिका व कार्यकर्ता के रिक्त पद पर वार्डों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अधिकतर आशार्थी आवेदन करने से वंचित रहने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित शहरी स्तरीय समिति में उक्त पदों को आगामी विज्ञापित में शामिल करने की अनुशंसा की गई।

उपखण्ड स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ) के पत्रांक 62 दिनांक 18.05.2026 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र कालाडेरा डी व कालाडेरा ई पर क्रमशः सहायिका व कार्यकर्ता के पद की विज्ञापित को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ) की अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय से जारी विज्ञापित में से निम्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय कर्मियों के पद की विज्ञापित को निरस्त किया जाता है:-

क्र.सं.	परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	पदनाम
1.	गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ)	कालाडेरा डी	सहायिका
1.	गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ)	कालाडेरा ई	कार्यकर्ता


(पार्थवी)

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर।
दिनांक:- 03.06.2026

क्रमांक:- 696-03

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवार्यें, राज., जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
3. श्रीमान उपनिदेशक (एसीपी), समेकित बाल विकास सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
5. संबंधित आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी।
6. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवार्यें, गोविन्दगढ़ द्वितीय(चौमूँ), जिला जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त संशोधित विज्ञापित आदेश को आवश्यक सभी स्थानों पर चस्पा किया जाना एवं उक्त विज्ञापित संख्या 2736 के तहत प्राप्त आवेदकों संशोधित विज्ञापित जारी होने पर पुनः आवेदन हेतु सूचित करना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।


(पार्थवी)

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर।